5.3.20 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वादी की ओर से संशोधित वादपत्र पेश किया। दिनांक 28.2.20 के आदेशिका के अनुसार संशोधित वादपत्र व प्रतिवाद पत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली मे प्रा०पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 की मजीद बहस सुनी गयी। पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु दिनांक 12.3.20 को पेश हो।

12.3.20 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, बहस प्रा० पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 पर उभयपक्षो की तर्क बहस, जवाब, तथ्यो, साक्ष्यो व पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया, प्रा०पत्र 09R9, 09R7, 09R13 संपठित धारा 151 मे अंकित किया गया कि प्रार्थी को जारी सम्मन पर गलत व अनुचित ढंग से बनावटी हस्ताक्षर द्वारा तामील की गई जो असम्यक मानी जावे एव न्यायालय का आदेश 12.3.16 का अवैध व अनुचित है क्यो कि मांगीलाल भील जो रिकार्डेड खातेदार है को पार्टी नही बनाकर वादी ने तथ्य छिपाए। अतः रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। तथा प्रतिवादी व प्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किये। प्रतिवादी/प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि तामील फर्जी हस्ताक्षर से होकर सम्यक नही हुई है एव राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा भी आगामी तारीख नही फरमायी। जवाब मे मेरे प्रा-पत्र मे अंकित तथ्यो का कोई खण्डन नही किया। प्रोपर तामिल नही हुई। मांगीलाल भील रिकार्डेड खातेदार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया। सम्पत्ति का विवाद होनें से न्यायहित मे प्रा-पत्र स्वीकार किया जावे। जानकारी होते ही अविलम्ब प्रा-पत्र पेश कर दिया है।

वादी/अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि डेढ़ माह

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

बाद प्रा-पत्र लगाया जो समयावधि बाहर है। तामिल राजस्व कर्मचारियो द्वारा कराई गई जो सम्यक हुई। 09 R13 के प्रा-पत्र मे एकपक्षीय कार्यवाही आदेश की जानकारी किस स्त्रोत से हुई, कही नही बताया। इस दौरान काउन्टर क्लेम मे वादपत्र द्वारा अवेर होने पर 022 R3 का कायम मुकाम प्रा-पत्र पेश नही किया। 09 R13 का प्रा-पत्र देरी से पेश करने का कोई कारण अंकन नही किया। अतः प्रा-पत्र खारीज किया जावे।

प्रार्थी ने सम्मन तामील पर हस्ताक्षर बनावटी होने के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य या उस द्वारा की गई कोई कानूनी कार्यवाही पेश नही की। प्रार्थनापत्र बिन्दु सं० 2 के अनुसरण मे मांगीलाल मील जो कि रिकार्डेड खातेदार है को पूर्व मे 01 R10 मे पार्टी बनाकर अपना पक्ष रखना चाहिये था जो अब प्रा-पत्र 09 R9, 09 R7, 09 R13 मे 1-10 का प्रा-पत्र लगाकर उक्त प्रा-पत्र मे पक्षकार पूर्व मे ही बना लिया गया है, प्रार्थी 09 R9, 09 R7, 09 R13 सपठित धारा 151 का प्रा-पत्र परिसीमा के बाहर पेश किया गया जिसका न तो प्रार्थी ने देरी का कोई कारण उल्लेख किया है और न ही भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रा-पत्र पेश किया है, प्रार्थी का प्रा-पत्र 09 R9, 09 R7, 09 R13 सपठित धारा 151 अस्वीकार होकर खारीज किया जाता है चूंकि न्यायालय द्वारा प्रतिदावा मे निर्णय दिनांक 12-3-16 को विपक्षीगण की एक पक्षीय कार्यवाही मे आदेश पारित किया जा चुका है एवं विपक्षीगण द्वारा प्रा० पत्र 09 R9, 09 R7, 09 R13 सपठित धारा 151 का

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पेश किया गया, जिसमे 1-10 द्वारा पक्षकार के रूप मे श्री मांगीलाल भील को शामिल किया गया प्रा-पत्र 09 R9, 09 R7, 09 R13 संपठित धारा 151 जा·दी० खारीज किया जा चुका है जिस कारण पत्रावली दिनांक 12·3·2016 के पूर्व आदेशानुसार स्थिति मे लौट गई है।

अत: पूर्व आदेशानुसार डिक्री जारी हो, खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.29 13:20:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: